ૐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
'માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા'
ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-5 अंक : 50

सहयोग शुल्क : रु. 1 / फरवरी : 2021

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

" भारत के विकास में हरएक
दिव्यांग की भागीदारी जरुरी है। "
– प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

" आओ, हम सब मिलकर दिव्यांगजनों को
आगे बढने में उनकी मदद करे। "
– मुख्यमंत्री विजयभाई रुपाणी (गुजरात राज्य)

" भारत का हरएक दिव्यांग आज अपनी प्रतिभा
और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सक्षम है। "
– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

''मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है।
पंख से कुछ नही होता, हौंसलो से उडान होती है।''

कहा जाता है की मजबूत ईरादें और दृढ इच्छाशक्ति के बलबूते हम वो सबकुछ कर सकते है जो कुछ हम करना चाहते है। कभी-कभी कुछ शारिरीक क्षतियां शरीर में होने के कारण कभी भी ऐसा मत सोचे की यह अभिषाप है। उसकी वजह से आप कभी भी हीनभावना महेसुस मत करे। हंमेशा एक बात अपने जीवन में याद रखना की कोई भी मुश्कील, चूनौती कभी मानवीय क्षमता से बडी नही हो सकती। जिंदगी में हंमेशा एक सकारात्मक द्रष्टिकोण से आगे बढते रहीए और फीर देखो आपके आसपास की परिस्थितियां समय, प्रकृति सबकुछ अपने आप बदलना शुरु हो जायेगा। हम जैसा सोचेंगे वैसा महोल हमारे आसपास होगा। इसलिये हंमेशा एक सकारात्मक सोच, मजबुत ईरादे और कुछ कर गुजरने की द्रढ इच्छा शक्ति रखकर आगे बढते रहेना चाहिए। सिर्फ एक ही ध्येय रखना है की हमे मंजिल को पाना है। हमे चुनौतीयो से डरना नही है उससे हींमत से लडना है। मुश्कीले, चुनौतीयां, संघर्ष यह सब जिंदगी का एक हिस्सा है उसे हम रोक नही सकते लेकीन हां, हम सकारात्मक सोच और हींमत से उसमें से बहार जरुर आ सकते है। ये वक्त है, वक्त का पहीया कभी भी एकसमान नही चलता। सुख-दु:ख, अच्छा-बूरा समय यह सब चलता रहेगा। बस हमे इस वक्त के दौर के साथ अनुकूल होना है और अपनी मंजिल की और आगे बहते रहेना है।

आप सभी को निवेदन है की ''दिव्यांग सेतु'' पत्रिका में प्रकाशित करने हेतु आपके आसपास दिव्यांगजनों के अनुलक्ष में हुए कार्यक्रम या कोई दिव्यांग व्यक्ति की जानकारी का ब्यौरा भी आप हमें भेज सकते है। हम इसे प्रकाशित करेंगे।

आओ, आप भी दिव्यांगजनों के इस सेवायज्ञ में हमारा साथ दे....

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

फरवरी : 2021, पृष्ठ संख्या : 16
वर्ष : 5 अंक : 50

प्रेरणास्त्रोत और संपादक

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

सह-संपादक

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

संपर्क-सूत्र

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

मुद्रक

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

★ विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) को डिजीलॉकर से जोड़ा गया ।

8 दिसंबर 2020 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव तारिका रॉय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव/सचिवों को एक पत्र जारी किए है । इस पत्र में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र अथवा यूडीआईडी कार्ड को डिजीलॉकर से जोड़ने संबंधी जानकारी दी गई है । पत्र में उल्लेख किया गया है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग व्यक्तियों के राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करते समय और हर दिव्यांग व्यक्ति को एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र प्रदान करने के दौरान, इस यूडीआईडी प्रोजेक्ट को इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजीलोकर सुविधा के साथ जोड़ दिया है।

जैसा कि हम जानते है कि डिजीलॉकर सुविधा प्रत्येक नागरिक को डिजिटल वॉलेट प्रदान करती है, ताकि हम अपने सभी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रुप से एक स्थान पर उपलब्ध करा सकें और वहां हम कहीं से भी और कभी भी पहुंच सके । इस अवधारणा को इलेक्ट्रांनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है, अतः यह विभाग दिव्यांग लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से भी यूडीआईडी और डिजीलॉकर को जोड़ने के बारे में जागरुकता बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा है । इस संबंध में एक वीडियो बताया गया है जिसे यूट्यूब लिंक **https://youtu.be/ibeCAiMisc** के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

यूडी आईडी कार्ड परियोजना क्या है?

यूडीआईडी कार्ड भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत दिव्यांग जनों को एक विशेष दिव्यांगता पहचान पत्र प्रदान किया जाता है, जो कि दिव्यांगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध होता है । इस कार्ड को सरल, सुगम्य एवं सुरक्षित रखने के लिए अब इसे डिजीलॉकर के साथ भी जोड़ दिया गया है।

डिजीलॉकर क्या है?

डिजीलॉकर भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया एक ऐसा ऐप है जिसमें आप सभी तरह के डॉक्यूमेंट अथवा दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिकली सेव करके रख सकते है । इसमें रखे गए प्रमाण पत्रों को कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वेरिफिकेशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है । यह दस्तावेज आईटी एक्ट, 2000 के अनुसार मूल दस्तावेज के समतुल्य है।

डिजीलॉकर का उपयोग कैसे करें ?

सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर डिजीलॉकर नाम से अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर दिए गए पेज पर गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद दिए गए विकल्पों में से अपने विकल्प का चयन करें। यदि आप पहले से ही खाताधरक हैं तो साइन इन का विकल्प का चयन करें और यदि आप पहली बार इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो क्रिएट अकाउंट का चयन करें। क्रिएट अकाउंट के विकल्प का चयन करने के बाद आपसे आधार नंबर दर्ज करने को कहा जाएगा। दिए गए बॉक्स में अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें एवं नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसे दिए गए बॉक्स में दर्ज कर सबमिट का बटन क्लिक करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद दिए गए बॉक्स में सिक्योरिटी पिन दर्ज करें जो कि आपको आसानी से याद रहे। यह सिक्योरिटी पिन वही होगा। जिसे आप हर बार डीजी लॉकर ओपन करने के लिए दर्ज करेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि यह पिन सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हो। इस पर क्लिक करते ही आप डिजीलॉकर एप्लीकेशन में लॉगिन होकर इसके मुख्य पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। मुख्य पृष्ठ पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों का ब्योरा दिया गया है। और इन सभी संबंधित संस्थानों और विभागों के द्वारा निर्गत किए गए प्रमाण पत्रों को आप डिजीलॉकर में सेव कर रख सकते हैं। अपने यूडीआईडी कार्ड को डिजीलॉकर में सेव करने के लिए आप दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना यूडीआईडी कार्ड नंबर अंकित करें। एक बार डाउनलोड हो जाने के बाद आपके डिजीलॉकर अकाउंट में यह सदा के लिए सेव हो जाएगा तथा जरुरत पड़ने पर आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह अन्य सभी सरकारी डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट को भी आप इस डिजीलॉकर में सेव कर सकते हैं। इस प्रकार दिव्यांग व्यक्तियों को अपने यूडीआईडी कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए डिजीलॉकर एक अत्यंत सरल, सुगम्य एवम् सुलभ तरीके प्रदान करता है।

पत्र में आगे लिखा गया है कि चुकि यह केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, इसलिए यदि राज्य एवम् केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें भी डिजीलॉकर के उपयोग की आवश्यकता एवं इसे यूडीआईडी कार्ड से लिंक करने के बारे में दिव्यांग व्यक्तियों को संवेदनशील बनाने की पहल करती है, तो मैं आभारी रहूंगा। लोगों के करीब होने और दिव्यांग व्यक्तियों तक अधिक पहुंच होने की वजह से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह आसान होगा कि वे यूडीआईडी कार्ड को डीजी लॉकर सुविधा से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण देने के संबंध में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अभियान चलाएं और उनका आयोजन करें। पत्र के अंत में कहा गया है कि इस प्रयास में आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप से डिजीलॉकर के साथ यूडीआईडी कार्ड के जुड़ाव के बारे में जागरुकता बढ़ेगी और इससे दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।

★ नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर कराएं पंजीकरण, निशुल्क मिलेंगे कृत्रिम अंग व उपकरण ।

दिव्यांगजनों के लिए एक राहत भरी खबर है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) और जन सुविधा केंद्र (सीएससी) ने अब दिव्यांगो के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए एक साझा मंच तैयार किया है। इसके तहत कृत्रिम अंगों व उपकरणों को पाने के लिए अब दिव्यांगजन जन सुविधा केंन्द्र (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) संबंधित दिव्यांग को नि:शुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराएगा। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी चमन सिंह ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दिव्यांगजनों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और जन सुविधा केंद्र ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत कोई भी दिव्यांगजन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिले के किसी भी जन सुविधा केंद्र में प्रस्तुत कर ऑनलाइन अपना पंजीकरण करा सकता है।

आय सीमा में भी मिली छूट।

अभी तक जरुरी शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि कृत्रिम अंग पाने के लिए संबंधित दिव्यांग की सालाना आय 46,000 रुपये से अधिक न हो, लेकिन सरकार ने इस आय सीमा में छूट दी है। अब कृत्रिम अंग पाने के लिए वह दिव्यांग भी आवेदन कर सकते हैं जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपए तक है। इन सभी दिव्यांगों को जिले के किसी भी सीएससी पर कृत्रिम अंग एवं उपकरण लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद एलिम्को उन्हें कृत्रिम अंग अथवा उपकरण नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा, लेकिन इसके लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

यह कृत्रिम अंग व उपकरण मिलेंगे।

कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण पाने के लिए दिव्यांग के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इस प्रमाणपत्र के साथ जिले के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद एलिम्को द्वारा कृत्रिम हाथ, पैर के अलावा सहायक उपकरण बैसाखी, ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन व स्मार्ट केन उपलब्ध कराए जाएंगे।

★ वर्चुअल डिब्बा पिकनिक

नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित डॉक्टर हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कूल फॉर मेंटली डिसेबल्ड अहमदाबाद की ओर से कोरोनावायरस के इस समय में जहां पाठशालाए बंद है तभी पिछले 8 महीनों से मनोदिव्यांग छात्रों के ऑनलाइन शिक्षण एवं ट्रेनिंग और अलग-अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 2021 के इस नए साल के स्वागत के तहत लायन्स क्लब ऑफ संवेदना के सहकार से एक अलग ही कार्यक्रम "वर्चुअल डिब्बा पिकनिक" का ऑनलाइन आयोजन किया गया था।

इस कार्यक्रम में करीबन 30 जितने छात्रों अपने घर को डेकोरेट करके, लाल कलर के कपड़े पहनकर अपने माता-पिता के साथ ऑनलाइन जुड़े थे। इस कार्यक्रम में शरीर की अच्छी सेहत के लिए योगा आवश्यक है यह संदेश देने के लिए सबसे पहले योगा करवाया गया। उसके बाद मनोरंजन के लिए बच्चों के साथ डांस का आयोजन किया गया था और साथ में ही नियम के मुताबिक वाली की मदद से बच्चों द्वारा तैयार किए गए अलग-अलग पकवान का बच्चों के द्वारा ही वर्णन किया गया। जिसमें फाफड़ा, समोसा, पुलाव, उपमा, मंचूरियन, वेफर्स जैसे विविध पकवान पेश किए गए थे। और उसके बाद छात्रों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर पर ही विविध पकवान का लुफ्त उठाया। जबकि अध्यापकों ने पाठशाला में मोनेकोटोपिग बनाकर उसे खाने का आनंद लिया था। इस वर्चुअल डिब्बा पिकनिक में सभी छात्रों एक दूसरे के साथ अपने बनाए हुए पकवान शेयर नहीं कर पाए लेकिन घर पर ही यह विविध पकवान का परिवार के सदस्यों के साथ आनंद उठाया गया इसका अनुभव कुछ अलग ही रहा। क्लब के सदस्य और कार्यक्रम के संचालक श्री अमृता बहन की ओर से बेस्ट पकवान, बेस्ट डेकोरेशन, बेस्ट डांस जैसी अलग-अलग कैटेगरी के इनाम दिए गए।

पूरे विश्व में शायद पहली बार इस तरह का मनो दिव्यांग बच्चों के लिए ऑनलाइन डिब्बा पिकनिक का आयोजन किया गया होगा ऐसा मानकर बहुत ही आनंद के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया।

21 श्रेणियों के सभी दिव्यांगो को 2021 की सौगात

★ वाहनों की खरीद पर करों में छूट की बरसात ।

नव वर्ष में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने दिव्यांगजन ओनरशिप टाइप वाले सभी वाहनों पर विभिन्न करों में छूट की सौगात दी है। अब दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट), 2016 में उल्लिखित 21 प्रकार के सभी दिव्यांगजन के द्वारा खरीदी गई निजी अथवा व्यावसायिक वाहनों पर रोड टैक्स एवं टोल टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट एवं इंश्योरस पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी । जबकि ऑर्थोपेडिक शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति वाहन खरीदने से पहले जीएसटी में कंसेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे । इन्हें रोड टैक्स, टोल टैक्स एवं इंश्योरेंस पर छूट के अलावे जीएसटी, अधिभार अथवा सेस एवं एक्साइज ड्यूटी में भी छूट मिलेगी । इन्हें अपने वाहनों पर सिर्फ 18 प्रतिशत जीएसटी, तथा 50 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी शुल्क देना होगा । मंत्रालय के द्वारा ऑटोमेटिक गियर वाले वाहनों को भी ऑर्थोपेडिक शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुकूलित माना गया है ।

30 दिसंबर, 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण), तीसरा संशोधन, नियम 2020 संबंधी एक गजट नोटिफिकेशन जारी की है। इसमें उल्लेख किया गया है कि शारीरिक दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के उपयोग के लिए विशेष रुप से डिजाइन किए गए एवं निर्मित वाहनों अथवा, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और इसके अधीन बने नियमों के तहत वाहन संबंधित स्वामित्व या ओनरशिप टाइप दिव्यांगजन के रुप में रजिस्टर्ड वाहनों के राजमार्ग शुल्क अथवा टोल टैक्स से मुक्त माना जाएगा । अर्थात, अब इन सभी वाहनों पर टोल टैक्स मुक्त नि-शुल्क फास्टैग उपलब्ध कराना आसान होगा ।

विदित हो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 को एक अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में 15 वे संशोधन करते हुए फॉर्म 20 के क्रम संख्या 4 ए में वाहन संबंधित स्वामित्व अथवा ओनरशिप की कुल 15 श्रेणियां जोड़े थे ।

ओनरशिप की 5 वीं श्रेणी में दिव्यांगजन (क) जीएसटी कंसेशन का लाभ प्राप्त एवं (ख) जीएसटी कंसेशन का लाभ प्राप्त किए बगैर, को रखा गया है। इसके अलावा स्वायत्त निकाय, केंद्रीय सरकार, धर्मार्थ न्यास, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि ओनरशिप की अन्य श्रेणियां हैं।

दिव्यांगजन का अर्थ :-

यहां दिव्यांगजन से तात्पर्य दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम (आरपीडबल्यूडी एक्ट), २०१६ में उल्लिखित २१ प्रकार के सभी दिव्यांगजन जैसे गति विषयक या लोकोमोटर दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ उपचारित व्यक्ति, बोनेपन वाले, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड हमले से पीड़ित, नेत्रहीन, कम दृष्टि, बधिर, ऊंचा सुनने वाले, स्पीच एवं लैंग्वेज दिव्यांगता वाले, बौद्धिक दिव्यांग, विशिष्ट अधिगम दिव्यांग, ऑटिस्टिक, मानसिक रुग्ण, बहू स्कलेरोसिस, पार्किन्स रोग वाले, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज एवं बहु-दिव्यांग व्यक्तियों से है, जिनके विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र अथवा यूडी आईडी कार्ड में स्थाई दिव्यांगता ४०% अथवा अधिक प्रमाणित किया गया हो।

इस अधिसूचना के जारी होने के बाद अब रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के द्वारा वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अथवा आर.सी. पर दिव्यांग व्यक्ति के नाम के साथ-साथ ओनरशिप टाइप के रुप में दिव्यांगजन का उल्लेख करना अनिवार्य हो गया है।

मंत्रालय के द्वारा अपने एक आदेश में यह कहा गया है कि दिव्यांगजन की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इनवेलिड कैरिज वाहन के संबंध में प्रदान की जाने वाली विभिन्न छूट/सुविधाएं/राहत को भी दिव्यांगजन ओनरशिप वाले इन वाहनों के लिए बढ़ाई जाए। जबकि, पहले यह सुविधा केवल ऑर्थोपेडिक शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनके एडाप्टिव वाहनों पर ही प्रदान किए जा रही थी। दिव्यांगजन ओनरशिप टाइप वाले वाहनों को चलाने के लिए दिव्यांगो को इनवेलिड कैरिज वाहन चलाने संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रदान किया जाएगा।

★ सिकल सेल एनीमिया :

हर साल 19 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड सिकल सेल डे (world sickle cell day) शिशु को मां-बाप से मिलती है यह बिमारी जिसमें लाल कोशिकाए 'सी' शेप, अर्धचंद्राकार या सिकेल शेप में बदल जाती है । सिकेल शेप की लाल रक्त कोशिकाए स्वस्थ अंडाकार आकारवाली कोशिकाओ की तुलना में सख्त और चिपचीपी हो सकती है । विकृत लाल कोशिकाए सामान्य कोशिकाओ की तरह रक्त वाहिकाओ में मुव नहीं करती है। यह बिमारी शिशुओ को भी प्रभावित करती है।

साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र की महासभाने पहली बार वर्ल्ड सिकल डे (world sickle cell day) मनाने की शरुआत की थी ताकी इस बिमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रुप में पहचान मिल सके । इसके बाद संयुक्त राष्ट्रने वैश्विक रुप से 19 जून को "वर्ल्ड सिकल सेल जागरुकता दिवस" के रुप में मनाने का शुरु कीया । यह बिमारी सामान्य रुप से उन लोगो में देखने मिलती है जो अफ्रीका, दक्षिण अमेरीका, कैरिबीयन द्विप, मध्य एमेरीका, साउदी अरब, भारत और भुमध्य सागरीय देशो जैसे तुर्की, ग्रीस, इटली में रहेते है। WHO के मुताबिक हर साल करीब ३ लाख से अधिक बच्चे हिमोग्लोबीन बीमारी के गंभीर रुपो के साथ पैदा होते है जिसमें थेलेसीमिया और सिकल सेल बिमारी शामिल है । दुनिया की करीब 5 प्रतिशत आबादी ऐसी है जो सिकल सेल बिमारी की स्वस्थ वाहक है । आज जानते है सिकल सेल एनीमिया होने के कारण, लक्षण, प्रकार और ईलाज के विषय मे...

★ सिकल सेल बिमारी कितने प्रकार की होती है । यह बिमारी मुख्य रुप से चार तरह की होती है ।

- सिकल सेल एनीमिया
- सिकल हीमोग्लोबीन - सी डीसीज
- सिकल बीटा-प्लस थेलेसिमीया
- सिकल बीटा-जीरो थेलेसिमीया

★ सिकल सेल एनीमिया के कारण :-

सिकल सेल डिसीज लाल रक्त कोशिकाओ के विकारो का एक समुह है जो बच्चे को उसके माता-पिता से मिलता है । यह एक ओटो सोमल रिसेसिव डिसीज है जिसका मतलब यह होता है की बच्चे को यह बिमारी तभी होगी जब उसकी मां और पिता दोनों में सिकल सेल जिन होंगे ।

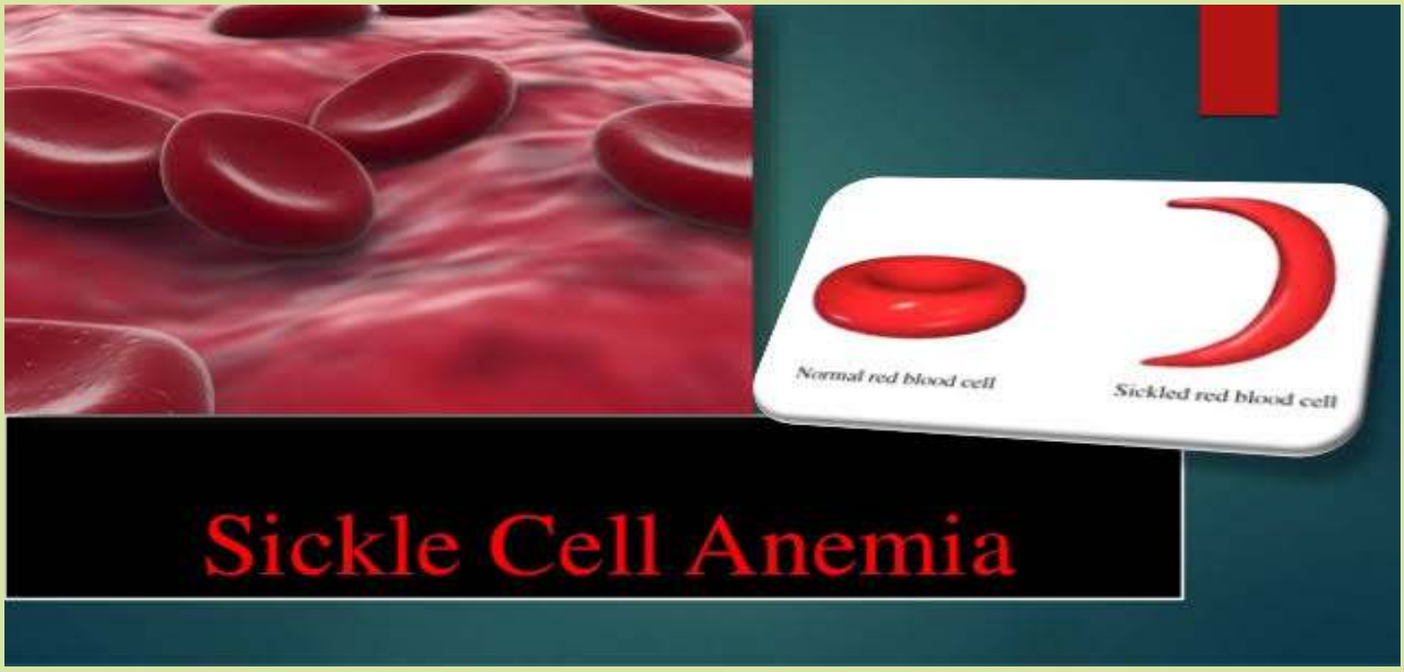

जब बच्चे को अपनी मां और पिता दोनो को एक बीटा ग्लोबीन जिन की दो विकृत कॉपी मिलती है, तो बच्चे में यह विकार पैदा होता है। जिन की विकृत कॉपी से डिफेक्टीव हीमोग्लोबीन प्रोटीन बनते है। **RBC** यानी लाल रक्त कोशिकाओ के अंदर असामान्य हीमोग्लोबीन प्रोटीन एक ऐसी चेन बनाता है जो एकसाथ झुंड में होती है। ये **RBC** की आकार को बिगाड देती है।

★ सिकल सेल एनीमिया के लक्षण :-

⌘ चार से पांच महीने की उम्र तक शिशु में सिकल सेल डिसीज के कोई भी लक्षण दिखाई नही देते है। जन्म के बाद शुरुआती महिनो में शरीर में फीटल हीमोग्लोबीन के मौजुद होने की वजह से ऐसा होता है। जब फीटल हीमोग्लोबीन की जगह असामान्य हीमोग्लोबीन लेता है तब संकेत और लक्षण धीरे-धीरे दिखने लगते है।

⌘ शिकल सेल के लक्षणो में बिलरुबीन के बढने की वजह से आंखो की सफेद और त्वचा का पीला पडना शामिल है। इसके अलावा एनीमिया के कारण शिशु कमजोर हो जाता है। आमतौर पर लाल रक्त कोशिकाओ का जीवन 120 दिनो का होता है जिसमें सिकल सेल सिर्फ 10 से 20 दिनो तक रहते है। इसकी वजह से एनीमीया होता है।

⌘ सिकल सेल में आंखो की रेटीना की रक्तवाहीकाओ के डैमेज और अवरुद्ध होने की वजह से आंखो का धुंधला पडना या रक्त कोशिकाओ की कमी की वजह से शिशु का विकास धीमा हो सकता है।

⌘ शरीर के कीसी खास हिस्से में बेहद तेज दर्द होना खासकर एक से ज्यादा स्पोट पर क्योंकी खून के जरीये शरीर के उस हिस्से को ऑक्सीजन की पूर्ति सही तरीके से नही हो पाती है।

⌘ बच्चो में चिडचिडापन दीखाइ देता है। इसके अतिरीक्त ब्लड वेसल्स में ब्लोकेज के कारण हाथ-पैरो में सुजन रहता है।

⌘ बार-बार संक्रमण होना।

इन सामान्य लक्षणो के अलावा, सिकल सेल डिसीज शरीर के कीसी भी हिस्से को प्रभावीत कर शकता है। कार्डियोमायोपैथी, एक्यूट चेस्ट सिन्ड्रोम और विजन प्रोबलेम्स भी हो सकती है। हर बच्चे एवं वयस्क में सिकल सेल डिसीज के संकेत और लक्षण अलग होते है और समय के साथ इनमें बदलाव आते रहेते है।

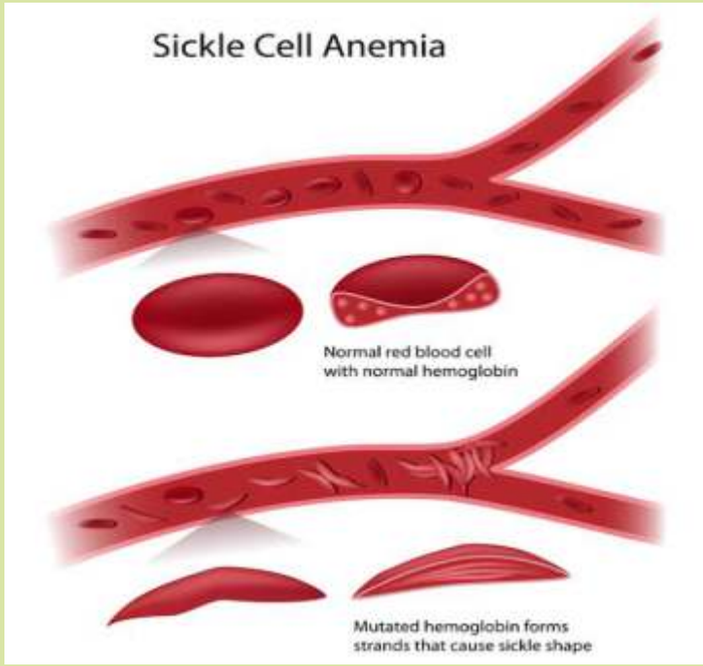

★ डॉक्टर को कब दिखाए ?

बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाए यदि.....

१. अचानक छाति, पेट, हाथ या पैर में दर्द हो
२. तेज बुखार
३. बढे हुए प्लीहा के लक्षण
४. सांस लेने में कठिनाई
५. ज्यादा कमजोरी या शरीर के कीसी भाग को मुव करने में परेशानी
६. ज्यादा चिडचिडापन
७. गंभीर एनीमिया के लक्षण
८. अचानक विजन प्रोबलेम
९. बेसुध होना
१०. पीली रंगत
११. दौरे पडने की स्थिति में शिशु तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।

दुनिया की आबादी का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा हिमोग्लोबीन विकारो से जूझ रहा है, मुख्य रुप से सिकल सेल डिसीज और थेलेसिमीया से हिमोग्लोबीन डिसऑर्डर एक आनुवांशिक ब्लड डिसीज है। हालांकी मैनेजमेंट और प्रिवेंटीव प्रोग्राम्स के माध्यम से हीमोग्लोबीन विकारो के प्रभावी ढंग से कम कीया जा सकता है।

★ रोकथाम के लिए क्या करे ? (Prevention of Sickle Cell Disease)

सिकल सेल रोग की रोकथाम और मरीज की देखभाल करने के लिए सिकल सेल एनिमीया की स्थिति को जानना बेहद महत्वपुर्ण है। हर अविवाह व्यक्ति को जांच द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए की उसमें सिकल सेल एनिमीया के जीन तो नही। अगर उनमें यह दोषपुर्ण जीन है, तो वे अपने जीवनसाथी का चुनाव करते समय या गर्भावस्था की योजना बनाते समय उचित सतर्कता बरत सके। जिन परीवारो में सिकल सेल रोग का इतिहास हो उनमें जन्मपुर्व निदान के द्वारा इस जीन को भावी पिढीयो में जाने से रोका जा सकता है। आपकी थोडी सी जागरुकता कंई नई जिंदगीओ को बचा सकती है।

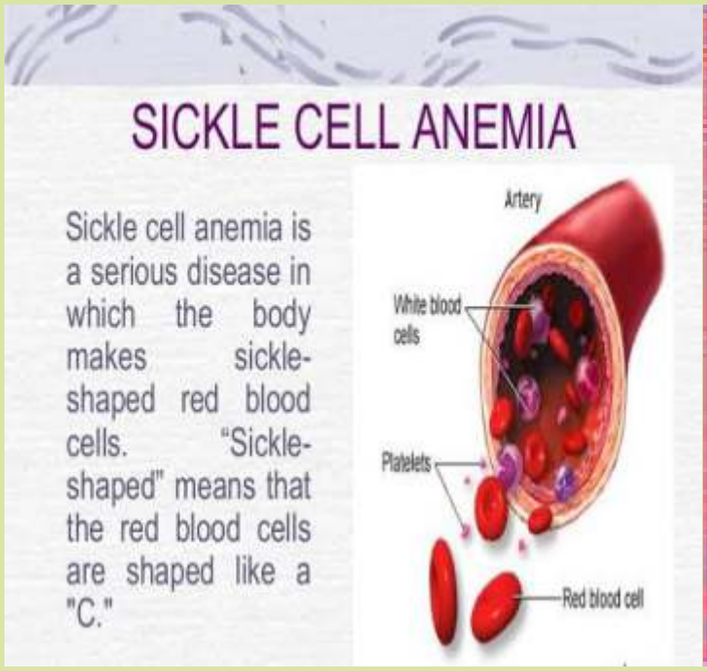

★ लघु कथा - ईश्वर को खत ।

सादर प्रणाम...

घर के दरवाजे की डोरबेल बजी । रसोइदार में सीमा हाथ पोंछते पोंछते बहार आई और दरवाजा खोला । सामने सुजीत को आया हुआ देखकर सीमा खुश हो गई । आज आने में देर हो गई ? सीमाने पुछा । हा, काम थोडा ज्यादा था, सुजीतने प्रत्यतर दिया, और पुछा की मां कहां है ? मां उनके कमरे में माला कर रही है सीमाने मुंह बिगाडते हुए उतर दीया । सीमा के चहेरे के हावभाव देखकर सुजीत को लगा की पक्का आज सास-बहु के बीच में फीर से कुछ अनबन हो गई लगती है । सुजीत कपडे बदलकर मां के कमरे में गया । मां पलंग पर बेठकर माला गिन रही थी । मां तेरी तबियत कैसी है ? सुजीतने पुछा । भाग्य में जीने का लीखा है इसलिए जी रही हुं वरना तेरी बहु के राज में मेरे लिए एक पल भी जीना मुमकीन नही है । (मां-सुलक्षणा बहन) मां ने उतर दिया । सुजीतने कहा, फीर से क्या हो गया ? तेरी बहु को में कुछ भी कहु वो पसंद नही है । आझ दोपहर को दो बजे तक कामवाली नही आयी थी । उसने कामवाली आई है या नही यह देखने में पूरी सोसायटी में दोड लगादी थी । इसलिये मैंने कहा की तेरी उंमर की जब में थी तब घरका सारा काम खुद ही करती थी और साथ में सुजीत को संभालती थी । आपको तो अभी तक बच्चों की भी जिम्मेदारी नही है फीर भी काम करने में क्या परेशानी होती है ? कामवाली के पीछे इतना समय बरबाद कीया उतने वक्त में तो अगर काम करना शुरु कर दीया होता तो अब तक काम हो गया होता । बस, मैने सीर्फ इतना ही कहा की आग लग गई । मैंने तो दोपहर को ठीक से खाना भी नही खाया । तुं भी मां छोटी-छोटी बातों में क्युं उसके साथ चर्चा में पडती है । अभी घर चलाने की जिम्मेदारी सीमा की है वो करेगी । सुजीत का उतर सुनकर मां ने कहाँ की मैने तुझे तीस साल का बडा कीया । तु मुजे

समजाने की बजाय और तेरी बहू की वकालत कीये बगैर अगर तेरी बहु को कुछ शीखायेगा तो तेरा घर संसार अच्छी तरह से चलेगा। मां ने गुस्से में जवाब दीया। सुजीत ने कहा की में तो ये रोज की जंजट से कंटालकर हिमालय चला जाऊंगा। सबलोग हिमालय जाने लगेंगे तो संसार एक दिन खाली हो जायेगा और हिमालय को भी भारी लगेगा।

सुजीत खडा हुआ और सीमा के पास आया। अभी सीमा की कहानी (कथा) सुनने की बाकी थी। मां की कथा सुनकर आए ? क्या कह रही थी ? सुजीतने कहा की उनकी सुनकर आया अभी तुं भी सुनादे ताकी यह खत्म हो जाये जल्दि से। सीमाने कहा तेरी मां को पैंसठ साल हो गये लेकीन अभी तक उन्होंने घर के कामकाज में टांग अडाना बंध नही कीया है। मुझे कह रहे थे की तेरे मां-बाप के घर नौकर है की यहाँ पर तुं नौकर की राह देखकर बेंठी रहती है। मेरी उम्र तक पहुंचते पहुंचते तो आप बिस्तर तक पहुँच जाओगे। बा ने मुजे ऐसा कहा, सीमा बोली। मुजे अभी तक संतान नही है। उस बात पर भी मां ताने सुनाने में कोई कसर नही छोडती है। क्यां संतान नही है इसमें मैं अकेली जिम्मेदार हुं ? इतना कहकर सीमा रो पडी। सीमा की बात सुनकर सुजीत अचंबित हो गया और उसने सीमा को कहा की मां ऐसा कह रही थी। सीमाने कहा की तुम्हें तो तुम्हारी मां की बात ही सच्ची लगती है ना। और यह कहकर सीमा रसोईघर में चली गई। सुजीतने सीमा को कहा की तुं मां की बात का बुरा न मान। मां का स्वभाव थोडा तेज है। भीतर से नरम और उपर से सख्त। सीमा ने कहा की मुजे तो मां का स्वभाव सख्त ही लगता है। नरमवाली बाजु देखने का तो मुझे आजतक मौका ही नही मिला है।

दोनो की बात सुनकर सुजीत ने सोचा की ये दोनो का झगड़ा इस जनम में तो शायद खत्म होनेवाला नही है। साम को सुजीतने खाना भी ठीक से नही खाया और जल्दि सो गया। सीमा की जान जल गई लेकीन अभी क्या ? सुबह जल्दि उठकर सुजीत से बात करुंगी ऐसा मन ही मन सोचते हुए सीमा भी सो गई।

सुबह के ६ बजे सीमा एकदम गभराई हुइ दोडते-दोडते सुजीत को उठाने के लिए आई । सीमा ने कहा, जल्दि उठो सुजीत, मां आंखे नही खोल रही है । सुजीत जल्दि से खडा हो गया और मां के कमरे में जाकर मां को देखा । उसने तुरंत डाक्टर को फोन लगाया । थोडी ही देर में डाक्टर साहब आए । सब चेकअप करके डाक्टर साहबने बताया की सुलक्षणा बहन अब इस दुनिया में नही रहे है । दाकतर की बात सुनकर सुजीत फुट-फुटकर रोने लगा और सीमा भी टुट पडी ।

सुलक्षणा बहन को इस दुनिया को छोडे हुए करीबन एक महिना हुआ होगा । एक महिने के बाद सीमा सास के रुम में गई और सब सामान बेग में भर रही थी । उसी वक्त सीमा के हाथ में सास की लीखी हुई एक नोटबुक आई । सीमाने नोटबुक खोली और पढने लगी । उसमें सुलक्षणा बहनने लीखा था.... मेरा पुत्र सुजीत और उसकी बहु सीमा मुजे बहुत अच्छी तरह से संभालते है । सीमा का स्वभाव थोडा गुस्सावाला और जल्दबाजीवाला जरुर है । लेकिन जब में बिस्तर में थी बहुत बिमार हो गई थी उस वक्त उसने मेरा मां की तरह ख्याल रखा था । कभी-कभी मुजसे उनके साथ लडाइ हो जाती है । मेरा इरादा उनके साथ लडाइ करने का नही होता है मगर में उसे जो कुछ मैं मेरे जीवन के अनुभवो से सीखी वह सिखाना चाहती हूं । लेकीन मैं कुछ भी बोलुं की तुरंत वो गुस्सा हो जाती है । मेरे साथ हप्ते तक बात नही करती है । मगर हा, उस झगडे की अनबन की वजह से मेरी रोजमरा की जिंदगी में कोई विक्षेप नही आने देती है । मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझने लगेगी ।

हे, इश्वर अगर तुं मुझे फीर से मनुष्य जन्म दे तो मुझे पुत्र के रुप में सुजीत और बहु के रुप में सीमा ही देना । सास की लीखी हुइ नोट पढकर सीमा की आंखो में से अश्रु बेहकर नोटबुक पर गिर रहे थे । सीमा पूरी तरह से स्तब्ध हो चुकी थी । सीमा और सुलक्षणा बहन दोनो के हाथमें से एक-दूसरे को समझने के लिए वक्त नीकल गया था । अभी सिर्फ खेद ही बचा था ।

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट
(N.G.O.)
संचालित
ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर
मानसिक दिव्यांग बच्चों के
लिए नि:शुल्क तालीमी संस्था
शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे
सुमेल ५, हाउस नं.: 48/डी, बिझनेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,
अहमदाबाद-380 016
मो. : 99749 55125, 99749 55365